<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>08.10.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व संबंधित संस्थाओं द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजना से जुड़ी जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रतीक कुमार, उनके पुत्र व उनकी कंपनियों के नाम पर पंजीकृत व पुणे, मुंबई और रायगढ़, महाराष्ट्र में स्थित 567.45 करोड़ रुपये वर्तमान बाजार मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने एक अवैध निवेश योजना चलाने में भूमिका के लिए 33 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध एक आरोप-पत्र और एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया।

आरोपपत्रों के अनुसार-, आरोपित कंपनियों व व्यक्तियों ने एक व्यापक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसमें कृषि भूखंड बेचने व उसे विकसित करने के बहाने भारत भर में लाखों निवेशकों से48 , 000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट भुगतान योजना के तहत निवेश करने के लिए उकसाया गया, और उनसे गुमराह करने वाले दस्तावेजों जैसे करारनामा, पावर ऑफ़ अटॉर्नी व अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवाए गए। ज़्यादातर मामलों में, भूमि कभी प्रदान नहीं की गई, और निवेशकों के लगभग 48,करोड़ रुपये अभी भी देय हैं। 000

ईडी ने अपराध की आय के शोधन में शामिल अलग अलग आरोपितों व संस्थाओं के विरुद्ध-2016 में एक ईसीआईआर दर्ज की तथा 2018 में एक अभियोजन शिकायत, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में छः पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर कीं। इस मामले में दिनांक 20.08.2022 को दायर प्रथम पूरक अभियोजन शिकायत में प्रतीक कुमार को आरोपित (ए-13) बनाया गया है, जिसका संज्ञान विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2022 के आदेश के माध्यम से लिया गया था। तत्पश्चात, विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा 09.04.2025 को प्रतीक कुमार के विरुद्ध एक खुला गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया।

ईडी ने प्रतीक कुमार, प्रतीक कुमार के पुत्र अंश प्रतीक कुमार तथा मेसर्स बीमिंग इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गणराज प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स ग्रीनफील्ड एस्टेट्स लिमिटेड नामक कंपनियों के स्वामित्व वाली 5,67,45,52,392 रुपये वर्तमान बाजार मूल्य की 48 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। मेसर्स बीमिंग इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गणराज प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ग्रीनफील्ड एस्टेट्स नामक कंपनियों का लाभकारी स्वामित्व व नियंत्रण प्रतीक कुमार के पास है। जांच से पता चला कि इन अचल संपत्तियों को मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड से विपथित धन ,जो कि मूल रूप से भोले-भाले निवेशकों से जुटाया गया तथा अपराध की आय है ,से खरीदा गया था।

उक्त कुर्की के साथ, ईडी भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों को मिलाकर अब तक लगभग 30,235.21 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।

आगे की जांच जारी है।